<u>सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक 25.10.16 को प्रमंडलीय उप निदेशक, कल्याण एवं जिला कल्याण पदाधिकारियों के साथ हुई बैठक की कार्यवाहीः–</u>

<u>उपस्थितिः–</u>

सूची संलग्न

बैठक प्रारंभ करते हुए सभी क्षेत्रीय पदाधिकारियों का स्वागत किया गया तत्पश्चात दिनांक–15.09.16 को आयोजित समीक्षात्मक बैठक कार्यवाही में दिये गये निदेशों के अनुपालन की समीक्षा की गई।

सभी क्षेत्रीय पदाधिकारी को अवगत कराया गया कि आज की बैठक के लिए तैयार किया गया फोल्डर एवं प्रतिवेदन e-mail के माध्यम से उपलब्ध कराया गया है। निदेश दिया गया कि अगली बैठक से पूर्व सभी महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर अद्यतन प्रतिवदेन तैयार कर विभाग को उपलब्ध करा दिया जाए। तत्पश्चात् कंडिकावार विभाग की संचालित योजनाओं की लक्ष्य प्राप्ति हेतु समीक्षा की गई तथा निम्नांकित महत्वपूर्ण मार्गदर्शन दिए गएः–

(1) छात्रवृति योजना

<u>प्रवेशिकोत्तर छात्रवृति योजना</u>

विभागीय संकल्प सं0–4061 दिनांक–16.05.16 के आलोक में प्रवेशिकोत्तर छात्रवृति योजना के अन्तर्गत निर्धारित मापदण्ड के आधार पर छात्रवृति का भुगतान सुनिश्चित किया जाए।

अरवल(79.56%), समस्तीपुर(87.66%), वैशाली(88.52%), सहरसा (90.51%), एवं **दरभंगा**(90.97%) में प्रवेशिकोत्तर छात्रवृति का वितरण न्यूनतम है। संबंधित जिलों को एक सप्ताह के अन्दर स्पष्टीकरण समर्पित करने का निदेश दिया गया। विभागीय पत्रांक–5666 दिनांक–03.10.2016 के आलोक में प्रवेशिकोत्तर छात्रवृति योजना के लिए अगामी वर्ष में वर्ष–2015–16 तक नामांकित छात्र/छात्राओं के लिए पाठ्यक्रमवार वर्षवार प्रतिबद्ध दयेता की राशि का आकलन कर प्रतिवेदित करने का निदेश दिया गया।

राज्य स्तर पर वर्ष 2015–16 के लिए ऑन लाईन कुल 111804 आवेदन पत्र प्राप्त हुए, हार्ड कॉपी के रूप में कुल–95312 आवेदन प्राप्त हुए हैं। अबतक कुल 92800 छात्र/छात्राओं के लिए छात्रवृति की राशि विमुक्त की गई है। कुल 97.36% प्रतिशत वितरित की गई है।

सभी जिला कल्याण पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि संबंधित संस्थान से लंबित आवेदन पत्रों का हार्ड कॉपी प्राप्त कर लें। जिन संस्थानों द्वारा आवेदन पत्रों की हार्ड कॉपी नहीं दी जा रही है तो उनपर विधिसम्मत् कार्रवाई की जाए। हॉर्ड कॉपी के

लिए लंबित छात्रवृति पर अंतिम निर्णय लिया जाए तथा 100% प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाए।

विभाग के स्तर पर गठित जाँच टीमों के द्वारा 32 फर्जी संस्थानों को चिन्हित किया गया है। विभागीय पत्रांक–4966 दिनांक–03.08.2016 के आलोक में सभी फर्जी संस्थानों पर प्रथम इत्तिला प्रतिवेदन (FIR) दर्ज करने का निदेश दिया गया है। पूर्वी चम्पारण, पटना, गया, जहानाबाद और औरंगाबाद में प्रथम इत्तिला प्रतिवेदन (FIR) दर्ज की गई है। **बक्सर, गया, अरवल, जहानाबाद एवं नालन्दा** में छात्रों की सूची के साथ फर्जी संस्थान पर थाना में एक सप्ताह के अन्दर प्रथम इत्तिला प्रतिवेदन (FIR) दर्ज करते हुए विभाग को प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करेगें।शिथिलता बरतने वाले जिला कल्याण पदाधिकारी से स्पष्टीकरण प्राप्त करने का निदेश दिया गया। यदि अगली तिथि तक इनके द्वारा प्रथम इत्तिला प्रतिवेदन (FIR) दर्ज नही की जाती है तो संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी पर अनुशासनिक कार्रवाई प्रारम्भ करने का निदेश दिया गया।

<u>प्रवेशिकोत्तर छात्रवृति योजना के तहत प्रतिबद्ध–देयता(Committed Liabilty)</u>

विभागीय पत्रांक–5666 दिनांक–03.10.2016 द्वारा सभी जिला कल्याण पदाधिकारी से प्रवेशिकोत्तर छात्रवृति योजना के तहत अगामी वर्षो के लिए पाठ्यक्रमवार प्रतिबद्ध–देयता (Committed Liabilty) की माँग की गयी है। उक्त के आलोक में 31 जिलों से प्रतिवेदन प्राप्त है। 7 जिला यथा, गोपालगंज, प0 चम्पारण, वैशाली, दरभंगा, समस्तीपुर, मधेपुरा एवं बांका से प्रतिवेदन अप्राप्त है।

निदेश दिया गया कि प्रतिबद्ध–देयता (Committed Liabilty) के तहत आकलन करते हुए आवश्यक राशि की माँग की जाए ताकि सभी जिलों को प्रवेशिकोत्तर छात्रवृति योजना के तहत राशि आवंटित किया जाए।

<u>प्री–मैट्रिक छात्रवृति योजना</u>

विभागीय पत्रांक–5771 दिनांक–08.10.2016 द्वारा सभी जिला पदाधिकारियों एवं सम्बंधित पदाधिकारियों को निदेश दिया गया है कि प्री–मैट्रिक छात्रवृति योजना की छात्रवृति वितरण में अनियमितता की जाँच त्रि–सदस्यीय समिति के माध्यम से करायी जाए। उक्त के आलोक में जिला कल्याण पदाधिकारी UDISE के आधार पर प्रत्येक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यालयवार नामांकित छात्र/छात्राओं की संख्या के आधार पर विद्यालयवार छात्रवृति मद में हुए वितरण की समीक्षा करेगें तथा जाँच कर लें कि विद्यालय शिक्षा समिति/विद्यालय प्रबंधन समिति के बैंक खाते में अंतरित राशि किसी भी स्थिति में संबंधित विद्यालय में नामांकित कुल छात्र–छात्राओं की संख्या से अधिक के लिए विमुक्त नही की गई थी। यदि जाँच के क्रम में अनियमितता परिलक्षित होती है तो संबंधित कर्मियों/पदाधिकारियों पर नियमानुकूल कार्रवाई की जाए।

नालन्दा, बक्सर, गया, अरवल, मुंगेर, अररिया, लखीसराय, शेखपुरा, दरभंगा, अरवल एवं पूर्णियाँ 11 जिलों में त्रि–सदस्यीय जाँच समिति गठित की गई है। शेष जिलों में समिति बनाने के लिए संचिका उपस्थापित है। सभी जिला कल्याण पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि प्री–मैट्रिक छात्रवृति योजना की छात्रवृति वितरण में अनियमितता की जाँच ससमय कर ली जाए।

<u>आधार कार्ड योजना</u>

भारत सरकार के अर्द्ध सरकारी पत्र संख्या–17011/02/2015/Edu दिनांक–15.07.2016 के अनुसार प्री मैट्रिक छात्रवृति तथा प्रवेशिकोत्तर छात्रवृति के लिए छात्र/छात्राओं का आधार (Aadhaar) होना अनिवार्य है। सरकार की विभिन्न योजनाओं में **DBT** के लिए आधार (Aadhaar) का सफलतापूर्वक उपयोग किया जा रहा है। इसलिए छात्रवृति योजना के लिए छात्र/छात्राओं का आधार कार्ड होना अनिवार्य है। प्रमंडलवार स्थिति निम्न प्रकार है:–

आधार कार्ड की समीक्षा (वर्ग–9 एवं 10 छात्रवृति)

क0 सं0	प्रमंडल का नाम	वर्ग 9 से 10 तक के लामुकों की संख्या			वर्ग 9 से 10 तक के आधार कार्ड वाले लामुकों की संख्या			कुल प्रतिशत
		अनु0 जाति	अनु0 जनजाति	कुल	अनु0 जाति	अनु0 जनजाति	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	पटना	243131	4146	247277	14781	1538	16319	6.60
2	मगध	68988	716	69704	540	0	540	0.77
3	मुंगेर	24487	928	25415	1890	23	1913	7.53
4	भागलपुर	49928	8242	58170	9589	172	9761	16.78
5	पूर्णियां	11791	5145	16936	4402	1517	5919	34.95
6	सहरसा	132215	2868	135083	6450	194	6644	4.92
7	दरभंगा	26450	0	26450	15870	0	15870	60.00
8	तिरहुत	27591	2837	30428	302	58	360	1.18
9	सारण	27421	5616	33037	1771	441	2212	6.70
	कुल	**612002**	**30498**	**642500**	**55595**	**3943**	**59538**	**9.27**

आधार कार्ड की समीक्षा (प्रवेशिकोत्तर छात्रवृति)

क0 सं0	प्रमंडल का नाम	प्रवेशिकोत्तर छात्रवृति योजना के लाभुकों की संख्या			प्रवेशिकोत्तर छात्रवृति योजना के आधार कार्ड वाले लामुकों की संख्या			कुल प्रतिशत
		अनु0 जाति	अनु0 जनजाति	कुल	अनु0 जाति	अनु0 जनजाति	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	पटना	40579	1350	41929	4733	649	5382	12.84
2	मगध	14789	0	14789	1988	0	1988	13.44
3	मुंगेर	3811	27	3838	1909	0	1909	49.74
4	भागलपुर	2700	146	2846	0	0	0	0.00
5	पूर्णियां	1003	266	1269	620	266	886	69.82
6	सहरसा	375	8	383	191	4	195	50.91
7	दरभंगा	3593	0	3593	2156	0	2156	60.01
8	तिरहुत	6772	635	7407	1092	246	1338	18.06
9	सारण	2650	771	3421	1044	303	1347	39.37
	कुल	**76272**	**3203**	**79475**	**13733**	**1468**	**15201**	**19.13**

छात्र/छात्राओं के लिए आधार कार्ड बनाने का कार्य धीमी गति से चल रहा है।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं के आधार की समीक्षा एवं अनुश्रवण नियमित रूप से किया जाए। संबंधित जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी से आधार का डाटाबेस प्राप्त कर प्रतिवेदन को अद्यतन करा लिया जाए तथा निदेशक कल्याण विषयवस्तु की समीक्षा करते हुए सप्ताहिक प्रतिवेदन सरकार को भेजना सुनिश्चित करेगें।

मुख्य मंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति मेधावृति योजना

वर्ष 2015–16 में मेधावृति योजना के लिए आवंटित राशि का वितरण शत–प्रतिशत करने का निदेश दिया गया।

11 जिलों यथा, नवादा, औरंगाबाद, गया, अरवल, मुजफ्फरपुर, पूर्णियां, अररिया, भागलपुर, जमुई, शिवहर, कटिहार, एवं बक्सर द्वारा 100% प्रतिशत राशि का वितरण किया गया है। न्यूनतम वितरण करनेवाले 5 जिला यथा नालन्दा, सहरसा, मधेपुरा, वैशाली एवं पटना है। जिन्हे एक सप्ताह के अन्दर स्पष्टीकरण समर्पित करने का निदेश दिया गया।

(2) अनुसूचित जाति उपयोजना (SCSP) या अनुसूचित जनजाति उप योजना(TSP) के तहत् विशेष केन्द्रीय सहायता योजना

सभी जिला कल्याण पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि जिला पदाधिकारी के माध्यम से 15, नवम्बर, 2016 तक परियोजना प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाए।

(3) वनबन्धु कल्याण योजनाः–

इस योजना के तहत रोहतास, भभुआ, सारण, गोपालगंज, सहरसा, सुपौल, कटिहार, लखीसराय, जमुई परियोजना प्रस्ताव जिला पदाधिकारी के माध्यम से प्राप्त है। शेष जिलों को निदेश दिया गया कि जिला पदाधिकारी के माध्यम से 15 नवम्बर, 2016 तक परियोजना प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाए।

जनजातीय उप योजना के अनुश्रवण एवं समीक्षा के लिए जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति का गठन किये जाने का प्रावधान है। सभी जिला स्तरीय समिति को क्रियाशील किये जाने का निदेश दिया गया।

(4) समेकित थरूहट विकास अभिकरण, प0 चम्पारण

इस विभाग के माध्यम से समेकित थरूहट विकास अभिकरण, प0 चम्पारण में संचालित है। प0 चम्पारण के जनजाति (थारू जनजाति सहित) बाहुल्य प्रखण्डों यथा

बगहा–2, रामनगर, गौनाहा एवं मैनाटाड़ में योजनाओं के कार्यन्वयन के लिए विगत वर्षो में कुल ₹4577.00 लाख की राशि उपलब्ध कराई गई है, जिसमें से कुल ₹3180.85 लाख की राशि व्यय की सूचना प्राप्त है। अवशेष राशि ₹1296.15 लाख है। अभिकरण द्वारा 255 योजनाओं के विरूद्ध 192 योजनाओं को पूर्ण किया गया है। शेष 60 लंबित योजनाओं को नवम्बर, 2016 तक पूर्ण कर लिया जाए, साथ ही उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध करायी जाए। 3 योजनाओं को स्थगित किया गया है। वर्ष 2016–17 के लिए योजनाओं का चयन करने का निदेश दिया गया। साथ ही निदेश दिया गया कि जिला पदाधिकारी के स्तर से टीम गठित 60 लंबित योजनाओं का भौतिक जाँच की जाए।

(5) अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम–2006 एवं नियम–2007

वनाधिकार अधिनियम के तहत् प्राप्त दावा एवं आपत्तियों का निष्पादन शिविर लगाकर करने का निदेश दिया गया। लिया जाए। ग्राम पंचायत स्तर की समिति से प्राप्त दावों का निष्पादन कर अनुमंडल स्तर तथा जिला स्तर पर निर्णय लेते हुए जमीन का पट्टा का वितरण करने का निदेश दिया गया। बांका, रोहतास, कैमूर एवं गया जिला कल्याण पदाधिकारी अगली बैठक के पूर्व प्राप्त दावों का निष्पादन प्रत्येक स्तर से कराकर प्रतिवेदन भेजने का निदेश दिया गया। वन अधिकार अधिनियम से संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी ग्रामवार वन अच्छादन का प्रतिशत, वन में निवास करने वालें अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासियों का व्यक्तिगत डाटाबेस 15.11.2016 तक तैयार करने तथा जागरूकता शिविर का आयोजन करने का निदेश दिया गया।

विभागीय पत्रांक–5758 दिनांक–07.10.2016 द्वारा जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार के पत्र संख्या–230011 दिनांक–18.10.2016 से प्राप्त पत्र की प्रति उपलब्ध करायी गयी है। उक्त पत्र के अनुसार बिहार के कुल 22 जिलों यथा अरवल, औरंगाबाद, भोजपुर, पूर्वी चम्पारण, मुजफ्फरपुर, शिवहर, वैशाली, बांका, लखीसराय, बेगुसराय एवं खगडिया जिला उग्रवाद(LWE) प्रभावित है। इन जिलों के द्वारा विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन भारत सरकार के वेबसाईट http://forestrights.nic.in पर on line अपलोड करना है। सभी संबंधित जिला को निदेश दिया गया कि विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन भारत सरकार के वेबसाईट पर on line अपलोड किया जाए।

(6) आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास का संचालन, सामग्री क्रय एवं निर्माण/जीर्णोद्धार की समीक्षा

(i) आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास का संचालन

- आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों का संचालन हेतु विभागीय पत्रांक–4681 दिनांक–15.07.2016 एवं विभागीय पत्रांक–4680 दिनांक–15.07.2016 द्वारा विस्तृत मार्गदर्शिका उपलब्ध कराई गई है।
- छात्रावास संचालन समिति का गठन एवं बैठक 25 जिलों यथा पटना, नालन्दा, रोहतास, बक्सर, गया, जहानाबाद, नवादा, सारण, सिवान, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, सीतामंढी, प0 चम्पारण, पूर्वी चम्पारण, दरभंगा, सहरसा, अररिया, कटिहार, पूर्णियां, किशनगंज, भागलपुर, बांका, शेखपुरा, बेगूसराय एवं लखीसराय में कर लिया गया है।
- छात्रावास संचालन समिति का गठन के लिए 13 जिलों भोजपुर, अरवल, शिवहर, औरंगाबाद, वैशाली, मधुबनी, समस्तीपुर, सुपौल, मधेपुरा, खगडिया, मुंगेर एवं जमुई में संचिका जिला पदाधिकारी के समक्ष उपस्थापित है।

इस संबंध में निदेश दिया गय कि दिनांक– 30 अक्टूबर, 2016 तक छात्रावास संचालन समिति की बैठक का आयोजन करते हुए कार्यवाही विभाग को उपलब्ध कराया जाय। निदेश दिया गया कि छात्रावासों में आवश्यकतानुसार कार्रवाई किया जाए।

(ii) आवासीय विद्यालय एवं छात्रावासो के लिए सामग्री क्रय

सभी आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों के आवश्यकतानुसार सामगियों का क्रय जिला स्तर पर किया जाना है।

सामग्री क्रय के लिए जिला स्तर पर निविदा का प्रकाशन एवं जिला स्तरीय क्रय समिति की बैठक **पटना, रोहतास, भभुआ, जहानाबाद, अरवल, नालन्दा, गया, नवादा, सीतामढी, शिवहर, वैशाली, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा, मुजफ्फरपुर, पूर्णियां, किशंनगंज, कटिहार, लखीसराय, शेखपुरा, सारण, सिवान, सुपौल, मधेपुरा, गोपालगंज, भोजपुर, एवं खगडिया** में कर लिया गया है।

शेष जिला यथा, **बक्सर, औरंगाबाद एवं बेगूसराय** से कार्रवाई अपेक्षित है।

(iii) आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास का निर्माण/जीर्णोद्धार की समीक्षा

आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावास भवनों के निर्माण/जीर्णोद्धार के लिए शौचालय–सह–बाथरूम, रनिंग वाटर आपूर्ति, विद्युतिकरण नियमित रंग–रोगन एवं चाहरदिवारी इत्यादि की योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर कराया जाना है एवं जीर्णोद्धार की योजनाओं के लिए कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग के माध्यम से तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन तैयार कराकर प्रशासनिक स्वीकृति के लिए उपलब्ध कराया जाना है। मधुबनी, सहरसा, मधेपुरा, एवं नवादा जिला से प्राप्त मरम्मति एवं जीर्णोद्धार की योजनाओं का प्राक्कलन सक्षम प्राधिकार (भवन निर्माण विभाग) से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त नहीं है।

मरम्मति/निर्माण की लंबित योजनाओं की समीक्षा

क्र0	जिला का नाम	कुल लंबित योजनाओं की संख्या	स्वीकृति का वर्ष	अभियुक्ति
1	गया	11	2014–15 एवं 2015–16	गत माह से अबतक कार्य की प्रगति काफी धीमी है।
2	प0 चम्पारण के सिधांव, चौतरवा एवं थरूहट क्षेत्र में 400 आसन वाले आवासीय विद्यालय	7 आवासीय विद्यालय का निर्माण	2011–12, 2015–16 एवं 2016–17	2 आवासीय विद्यालय का कार्य पूर्ण है। शेष की प्रगति काफी धीमी है।
3	नवादा (सिरदल्ला) के आवासीय विद्यालय का निर्माण योजना	1		विद्युतिकरण का कार्य अवशेष है।
4	भभुआ के आवासीय विद्यालय एवं छात्रावासों के जीर्णोद्धार की योजना	11	2014–15 एवं 2016–17	कार्य की प्रगति काफी धीमी है।
5	मुजफ्फरपुर	6	2014–15 एवं 2015–16	कार्य की प्रगति काफी धीमी है।
6	आवासीय विद्यालय (मुढारी) नालन्दा का जीर्णोद्धार	1	2015–16	निविदा निष्पादित नही
7	आवासीय विद्यालय बक्सर का जीर्णोद्धार	2	2015–16	निविदा निष्पादित नही
8	सुपौल	1		निविदा निष्पादित नही
9	पटना, (सुगांव) पू0 चम्पारण	2	2015–16	17.55 करोड़ से नये आवासीय विद्यालय के भवनों का निर्माण कार्य कराया जा रहा है।
10	कटिहार	1	2016–17	सौनैली कटिहार आवासीय विद्यालय का जीर्णोद्धार
11	जहानाबाद	1	2016–17	छात्रावास की मरम्मति
12	सारण	1	2016–17	खैरा(छपरा) का कल्याण छात्रावास की मरम्मति
13	पूर्णियां	2	2016–17	आयुर्वेदिक चिकित्सा केन्द्र का जीर्णोद्धार
14	किशंनगंज	2	2016–17	मोतीहारा किशंनगंज आवासीय विद्यालय के पुराने छात्रावास का जीर्णोद्धार तुलसिया किशंनगंज कल्याण छात्रावास का जीर्णोद्धार
15	मुंगेर	1	2014–15	बालिका आवासीय विद्यालय का जीर्णोद्धार

निदेश

- आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावास भवनों के लिए मरम्मति एवं जीर्णोद्धार की योजनाओं के आवश्यकतानुसार तकनीकी अनुमोदित प्रस्ताव भवन निर्माण विभाग के माध्यम से उपलब्ध 30 अक्टूबर, 2016 तक विभाग को उपलब्ध कराया जाए।
- विगत वर्षो में स्वीकृत लंबित योजनाओं (गया, नवादा, भभुआ, गोपालगंज, मुंगेर, बक्सर, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, नालन्दा, पटना) को पूर्ण कराने के लिए संबधित भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता से अनुरोध किया जाए।

- विभागीय पत्रांक–5537 दिनांक–26.09.16 द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15, वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 में आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावास भवनों के लिए मरम्मति एवं जीर्णोद्धार की स्वीकृत एवं पूर्ण योजनाओं का भौतिक सत्यापन कराने एवं निर्माणाधीन योजनाओं के अनुश्रवण का निदेश दिया गया है। जिसके आलोक में किसी भी जिला से प्रतिवेदन प्राप्त नही है।
- आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास के लिए विद्युत मद में आवटित राशि व्यय कर लिया जाए।

(iv) जमीन की उपलब्धता

सभी संचालित आवासीय विद्यालयों का उत्क्रमण 720 आसन वाले 10+2 विद्यालय में किया जाना है।

अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालय मुरौल एवं बोचहा, (मुजफ्फरपुर), बांका, सुपौल, शिवहर, शेखपुरा, दरभंगा, बक्सर तथा आमस, (गया) एवं अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय किशनगंज, बांका एवं गया के लिए कम से कम 5 एकड़ भूमि उपलब्ध कराया जाए।

जिला कल्याण पदाधिकारी कैमूर को बाबू जगजीवन राम योजना के तहत छात्रावास के निर्माण के लिए 1 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

सभी संचालित आवासीय विद्यालयों का उत्क्रमण 720 आसन वाले 10+2 विद्यालय में करने के लिए कम–से–कम 5 एकड़ जमीन उपलब्ध कराया जाए।

(v) शिक्षकों का नियोजन

आवासीय विद्यालयों में **स्नातक स्तर के शिक्षकों के 322 रिक्त पदों** के विरूद्ध कुल 807 सेवानिवृत शिक्षकों का आवेदन प्राप्त है। **लखीसराय, शेखपुरा, शिवहर एवं नवादा जिला को छोड़कर किसी भी जिला से अनुशंसा प्राप्त नही हुई है।** उक्त के आलोक में प्राप्त आवदेन पत्रों में से चयन प्रक्रिया 30.10.2016 तक पूर्ण कर लिया जाए। मैट्रिक स्तर के शिक्षकों के 272 रिक्त पदों पर सेंवानिवृत शिक्षकों को संविदा पर रखने के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया गया है। निदेश दिया गया कि प्रमण्डलीय उपनिदेशक कल्याण एवं जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा शिक्षक नियोजन पर व्यक्तिगत ध्यान दिया जाए।

(7) अनु0 जाति और अनु0 जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम–1989

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) (संशोधन) अधिनियम–2015 एवं संशोधन नियम–2016 से विभागीय पत्रांक–4297 दिनांक–03.06.16 द्वारा सभी जिला पदाधिकारी को अवगत कराया गया है।

- **जिला स्तरीय सतर्कता एवं मोनीटरिंग समिति**

24 जिलों में 2 या 3 बैठकें आयोजित की गई है :–

पटना, नालन्दा, भभुआ, रोहतास, बक्सर, गया, जहानाबाद, अरवल, नवादा, सिवान, लखीसराय, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, शिवहर, पूर्वी चम्पारण, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, किशंनगंज, भागलपुर, बांका, मुंगेर, शेखपुरा एवं खगड़िया।

14 जिलों से 1 बैठक आयोजित करने की सूचना प्राप्त है:–

भोजपुर, औरंगाबाद, सारण, सीतामंढी, प0 चम्पारण, वैशाली, समस्तीपुर, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णियां, अररिया, जमुई, बेगूसराय एवं कटिहार।

"**जिला स्तरीय सतर्कता एवं मोनीटरिंग समिति**" की बैठक 30, अक्टूबर, 2016 तक आयोजित करने एवं बैठक की कार्यवाही विभाग को उपलब्ध करायी जाए।

- **Awarness Programme का आयोजन**

पटना, नालन्दा, रोहतास, भभुआ, गया, जहानाबाद, अरवल, नवादा, औरंगाबाद, सारण, शिवहर, सहरसा, पूर्णियां, कटिहार, मुंगेर, शेखपुरा एवं खगडिया में आयोजित किया गया है। शेष जिला को Awarness Programme का आयोजन 30 अक्टूबर, 2016 तक कर लिया जाए। इस हेतु सभी जिलों को विभागीय पत्रांक–49 दिनांक–13.10.2016 द्वारा कुल ₹87.50 लाख की राशि आवंटित की गयी है।

- **अत्याचार राहत अनुदान**

वित्तीय वर्ष 2016–17 में ₹334.38 लाख व्यय कर अबतक 985 पीड़ितों को लाभ दिया गया है। नालन्दा एवं औरंगाबाद जिला द्वारा क्रमशः ₹30.00 एवं ₹50.00 लाख की अतिरिक्त राशि की माँग की गयी।

सभी जिला कल्याण पदाधिकारी अधिनियम–1989 के तहत अत्याचार के पीड़ितों /आश्रितों को राहत अनुदान की राशि नियमानुसार के भुगतान करें तथा पेंशन एवं अन्य लंबित मामलों की विवरणी विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें। अगर इस मद में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता हो तो माँग पत्र भेजा जाए। लाभुकों की सूची का Hard cpoy एवं Soft copy उपलब्ध करायी जाए।

- **अनुमंडल स्तर पर उपखण्ड स्तरीय सर्तकता और अनुश्रवण समिति**

14 जिलों में समिति का गठन एवं बैठक आयोजित की गई है।
दरभंगा, समस्तीपुर, नालन्दा, भभुआ, शिवहर, मुजफ्फरपुर, बक्सर, नवादा, जमुई, पूर्वी चम्पारण, समस्तीपुर, किशनगंज, बेगूसराय, मधेपुरा, सुपौल, शेखपुरा एवं कटिहार में समिति का गठन एवं बैठक आयोजित की गई है। शेष जिला को निदेश दिया गया कि "अनुमंडल स्तर पर उपखण्ड स्तरीय सर्तकता और अनुश्रवण समिति" का गठन करते हुए बैठक की कार्यवाही उपलब्ध करायी जाए।

- **विशेष लोक अभियोजकों के कार्यो की समीक्षा**

21 जिला में विशेष लोक अभियोजकों के कार्यो की समीक्षा की गई है।
पटना, भभुआ, गया, जमुई, मुंगेर, शिवहर, सीतामंढी,नवादा, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, नालन्दा, दरभंगा, जमुई बक्सर, सिवान, सहरसा एवं कटिहार में विशेष लोक अभियोजकों के कार्यो की समीक्षा की गई है। सभी जिलों में विशेष लोक अभियोजकों के कार्यो की समीक्षा जिला पदाधिकारी के स्तर पर की जाए। संतोषजनक कार्य नही करनेवाले विशेष लोक अभियोजकों के विरूद्ध विधि विभाग का प्रतिवेदित किया जाए।

- **पेंशन योजना**

इस माह तक **288** लाभुकों को पेंशन योजना का लाभ दिया जा रहा है।
सभी जिला कल्याण पदाधिकारी अधिनियम–1989 की धाराओं के अन्तर्गत विगत 5 वर्षो के हत्या के मामलों की संख्या, थाना काण्ड संख्या एवं पीडितों का नाम, पूरा पता तथा हत्या के मामलों में आश्रित/विधवा को पेंशन योजना का लाभूकों की संख्या की पूर्ण विवरणी 15 नवम्बर 2016 तक उपलब्ध कराई जाए।

(8) प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना

- प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना एक केन्द्र प्रायोजित योजना है। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में गया जिला के 16 प्रखण्डों के अन्तर्गत 225 ग्रामों में संचालित है। विभाग द्वारा वर्ष–2015–16 में कुल ₹12.50 करोड़ मात्र की स्वीकृति आधारभूत संरचना के लिए दी गई है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत पूर्व में 3716 योजनाओं का चयन किया गया है जिनमें से 3286 योजनाओं को पूर्ण किया गया है।
- शेष 430 चालू योजनाओं को 15 अक्टूबर 2016 तक पूर्ण कर लिया जाय। साथ ही यह भी निदेश दिया गया कि वर्ष–2015–16 में आवंटित कुल ₹12.50 करोड़ की राशि के व्यय के लिए कार्य योजना तैयार कर योजनाओं का कार्यान्वयन समय–सीमा के अन्दर की जाए एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराया जाए। उपनिदेशक कल्याण, गया प्रमंडल को निदेश दिया गया कि अपने स्तर से प्रत्येक योजनाओं की नियमित रूप से समीक्षा करेगें।

(9) प्राक् परीक्षा केन्द्र

- सभी प्राक् परीक्षा केन्द्रों में गुणवत्तापूर्वक एवं निर्धारित समय के अन्दर प्रशिक्षण दिया जाए। निदेश दिया गया कि अनुसूचित जाति के अधिकतम छात्र–छात्रा विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सभी जिला कल्याण पदाधिकारी एवं केन्द्र निदेशक समन्वय स्थापित कर अनुश्रवण एवं मूल्यांकन करेगें एवं प्राक् परीक्षा केन्द्र से सफल होनेवाले छात्र/छात्राओं का पूर्ण विवरणी विभाग को उपलब्ध करायेगें।

(10) आयुर्वेदिक चिकित्सा केन्द्र

- आयुर्वेदिक चिकित्सा केन्द्रों के लिए संधारण मद में राशि उपलब्ध करायी गई है। पूर्णियां एवं जमुई जिला के आयुर्वेदिक चिकित्सा केन्द्रों का मरम्मति कार्य भवन निर्माण विभाग द्वारा कराया जा रहा है, जिला कल्याण पदाधिकारी, पूर्णियां एवं जमुई मरम्मति कार्य का नियमित अनुश्रवण करने का निदेश दिया गया। साथ ही अन्य आयुर्वेदिक चिकित्सा केन्द्रों, कटिहार, रोहतास एवं कैमूर के मरम्मति कार्य के लिए तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन भवन निर्माण विभाग के माध्यम से उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

(11) **महादलित विकास की योजना**

- सभी उपनिदेशक, कल्याण एवं जिला कल्याण पदाधिकारी को बिहार महादलित विकास मिशन की योजनाएँ यथा, विकास मित्र का चयन, सामुदायिक भवन–सह–वर्क शेड का निर्माण, विशेष विद्यालय योजना एवं अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं का नियमित अनुश्रवण करने का निदेश दिया गया था। जिसका प्रतिवेदन अप्राप्त है।
- **सामुदायिक भवन–सह–वर्क शेड का निर्माण योजना** के लिए 5045 लक्ष्य निर्धारित है। जिसके विरूद्ध 4348 का स्थल चयन किया गया है। 2432 योजनाओं को पूर्ण किया गया है एवं 2313 योजनाएँ अपूर्ण हैं। सभी जिला कल्याण पदाधिकारी एवं उपनिदेशक कल्याण नवम्बर, 2016 तक योजनाओं को पूर्ण कराने के लिए विकास मित्रों को निदेश दिया जाए। जिन विकास मित्रों के द्वारा योजनाओं को पूर्ण कराने में रूचि नही ली जा रही है, उनपर विधिसम्मत कार्रवाई करते हुए उनके नियोजन को समाप्त करने की कार्रवाई की जाए।
- सामुदायिक भवन–सह–वर्क शेड का निर्माण योजना में सबसे खराब उपलब्धि वाले जिला यथा पूर्वी चम्पारण, सारण, सुपौल, भोजपुर, पटना, मुजफ्फरपुर अररिया एवं दरभंगा के संबंध में निदेश दिया गया कि संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी से स्पष्टीकरण की माँग की जाए।
- **विकास मित्रों का नियोजन**

  विकास मित्रों के रिक्त स्थानों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया गया है। विकास मित्रों के सभी रिक्त पदों पर नियोजन की प्रक्रिया पूरी कर लेने का निदेश दिया गया।

(12) **ए.सी./डी.सी. एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र–**

समेकित प्रतिवेदन के अनुसार 19 जिला यथा, **पटना,** रोहतास, भोजपुर, बक्सर, **गया,** मुंगेर, जमुई, छपरा, भभुआ जिलों में ₹1.00 करोड़ से अधिक की राशि का ए.सी. बिल के विरूद्ध डी.सी. बिल प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा बहुत बड़ी राशि का अभी तक सामंजन नहीं हुआ है।

निदेश दिया गया कि एक पक्ष के अन्दर सभी जिला कल्याण पदाधिकारी अभियान चलाकर सहायक अनुदान एवं ए.सी. बिल के विरूद्ध डी.सी. बिल के लंबित मामलों का निष्पादन कर दें। साथ ही वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 में प्राप्त आवंटन के आलोक में ए.सी./डी.सी. तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जाए।

(13) माननीय उच्च न्यायालय में लंबित मामलेः–

CWJC के 20 मामलों में से 19 मामलों में तथ्य विवरणी तैयार कर प्रतिशपथ पत्र दर्ज किया गया है। जहानाबाद जिला का 1 मामला लंबित है। आने वाले एक पक्ष के अन्दर सभी लंबित मामलों में प्रति शपथ पत्र दायर करते हुए नियमानुसार कार्रवाई की जाए तथा इसकी सूचना विभाग को भेजी जाए ताकि समेकित प्रतिवेदन तैयार किया जा सके।

(14) **सेवान्त लाभः–**

सेवान्त लाभ के मामलों में पेंशन, उपादान, सा0 भ0 नि0, ग्रुप बीमा एवं उपार्जित अवकाश के लंबित ममालों में सेवानिवृत्त कर्मी माननीय उच्च न्यायालय के शरण में चले जाते हैं। इस सम्बन्ध में निम्नांकित निदेश दिए गएः–

(i) सभी जिला कल्याण पदाधिकारियों/उपनिदेशक अपने–अपने कार्यालयों में लंबित मामलों की समीक्षा कर लें एवं प्राथमिकता के आधार पर सेवांत लाभों का निष्पादन करें।

(ii) किसी भी सेवांत लाभ के संबंध में कोई विपरीत आदेश पारित किया जाता है या कोई वित्तीय भार अधिष्ठापित किया जाता है तो इसकी जबावदेही संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी एवं उनके वेतन से कटौती कर उसकी भारपाई की जायेगी। सेवान्त लाभों का निष्पादन ससमय हो। इसके लिए उप निदेशक कल्याण अपने स्तर पर पाक्षिक बैठक करेंगे तथा मासिक प्रतिवेदन निदेशक, कल्याण तथा सरकार को उपलब्ध करायेंगे। प्रतिवेदन में जिन कर्मियों की शिथिलता के कारण ससमय भुगतान सुनिश्चित नही हो सका है, उनके वेतन से वसूली संबंधी प्रस्ताव भी अपनी अनुशंसा के साथ समर्पित करेंगे तथा क्रियान्वयन भी सुनिश्चित करेंगे।

(15) लम्बित विभागीय कार्यवाहीः–

जिला कल्याण पदाधिकारी एवं अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी के 10, प्रखण्ड कल्याण पदाधिकारी के 7, घूस लेते हुए रंगे हाथ पकड़े जानेवाले 3 प्र0 क0 प्रदा0, एवं अन्य के 16 मामले लंबित है। सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा निर्गत परिपत्रों के आलोक में कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त की गयी।

29.10.12

(प्रेम सिंह मीणा)
सरकार के सचिव
अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग

बिहार सरकार
अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग

ज्ञापांक–1/निदे0 छात्रावास(बैठक)05–02/2014–खण्ड-5905 पटना, दिनांक– 28.10.16

प्रतिलिपिः– सचिव के प्रधान आप्त सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/संयुक्त सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/विशेष सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

28/10/16
उप निदेशक(मु0)।

ज्ञापांक–1/निदे0 छात्रावास(बैठक)05–02/2014–खण्ड-5905 पटना, दिनांक– 28.10.16

प्रतिलिपिः– सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त/सभी प्रमंडलीय उप निदेशक(क0)/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी/सभी संबंधित विभागीय पदाधिकारी एवं कर्मियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

28/10/16
उप निदेशक(मु0)।

ज्ञापांक–1/निदे0 छात्रावास(बैठक)05–02/2014–खण्ड-5905 पटना, दिनांक– 28.10.16

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार,पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

28/10/16
उप निदेशक(मु0)।

proceeding 25.10.16